



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 275 राँची, बुधवार,

15 जून, 2022 (ई०)

प्रारूप 1

(राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 का नियम 3 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन
की
लोक सूचना

भारत के राष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं पी.सी. मोदी सूचना देता हूँ कि -

- (i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, विशेष कार्य अधिकारी अथवा श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में **29 जून, 2022** तक (लोक अवकाश- दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

- (ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;
- (iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा समिति कमरा सं. 62, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में, **बृहस्पतिवार 30 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे** की जाएगी;
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में **2 जुलाई, 2022 को तीन बजे अपराह्न से पहले** परिदत्त की जा सकेगी;
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में **सोमवार, 18 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे और अपराह्न 5 बजे** के बीच होगा।

नई दिल्ली,
दिनांक 15 जून, 2022

(पी.सी. मोदी)
राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022
के लिए रिटर्निंग आफिसर
और
महासचिव, राज्य सभा

उपरोक्त सूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

FORM 1

(See rule 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974)

PUBLIC NOTICE
OF
ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT OF INDIA

WHEREAS a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the office of President of India has been issued by the Election Commission, I, P.C. Mody, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

- (i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to the undersigned at his office in Room No.29, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Shri Mukul Pande, Officer on Special Duty (OSD)/Shri Surendra Kumar Tripathi, Joint Secretary and Chief Vigilance Officer, Rajya Sabha Secretariat at the said office between 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the **29th of June, 2022**;
- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;
- (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of Rupees Fifteen Thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;
- (iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the time aforesaid;
- (v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at Committee Room No.62, First Floor, Parliament House, New Delhi on **Thursday, the 30th of June, 2022 at 11.00 A.M.**;
- (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above **before three o'clock in the afternoon of 2nd of July, 2022**;
- (vii) in the event of the election being contested, the poll will be taken on **Monday, the 18th of July, 2022** between hours of **10.00 A.M. and 5.00 P.M.** at the places of polling fixed under the rules.

New Delhi
Dated the 15th of June, 2022

(P.C. MODY)
RETURNING OFFICER FOR THE
PRESIDENTIAL ELECTION, 2022
AND
SECRETARY – GENERAL
RAJYA SABHA
